दृष्टि The Vision

एडिटोरियल

(संग्रह)

अप्रैल भाग-1
2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **5**

- डेटा संरक्षण कानून 5

आर्थिक घटनाक्रम **8**

- स्वेज़ नहर में ब्लॉकेज 8
- व्यवसाय और मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय कार्ययोजना 9
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण 11

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **13**

- भारत-बांग्लादेश संबंधों का विकास 13
- भारत का समुद्री सिद्धांत 15
- क्या भारत को नाटो में शामिल होना चाहिये? 16

नोट :

- भारत की शरणार्थी नीति 17
- भारत और बिम्सटेक 19

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण **21**

- विकेंद्रीकृत जलवायु सहायता 21

सामाजिक न्याय **23**

- खाद्य अपव्यय 23

आंतरिक सुरक्षा **25**

- वामपंथी अतिवाद 25

नोट :

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

डेटा संरक्षण कानून

संदर्भ

वैश्विक महामारी ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में आम जनमानस की भागीदारी को बढ़ाने में अतुलनीय योगदान दिया है। हालाँकि इसके बावजूद इसी अवधि में 'व्यक्तिगत डेटा' उल्लंघन के मामलों की संख्या में भी चिंताजनक रूप से बढ़ोतरी देखने को मिली है।

हाल ही में गुरुग्राम स्थित डिजिटल फाइनेंस कंपनी 'मोबिक्विक' (MobiKwik) पर कथित डेटा उल्लंघन के आरोप लगे हैं, जिसमें कुल 9.9 करोड़ उपयोगकर्त्ताओं का डेटा शामिल है और यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा डेटा उल्लंघन मामला हो सकता है। मौजूदा दौर में डेटा के महत्त्व को देखते हुए इस प्रकार की घटनाओं को रोकने और उपयोगकर्त्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिये एक मज़बूत डेटा सुरक्षा कानून काफी महत्त्वपूर्ण है।

वर्तमान में, भारत में उपयोगकर्त्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को एकत्रित करने और संसाधित करने की विधि को मुख्यत: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, साथ ही कई जानकार मानते हैं कि यह अधिनियम उपयोगकर्त्ताओं के व्यक्तिगत डेटा की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल हो पाया है।

हालाँकि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP) विधेयक, 2019 (जो वर्तमान में संयुक्त संसदीय समिति की जाँच के अधीन है) उपयोगकर्त्ताओं के व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से संबंधित मुद्दे

- सहमति का दुरुपयोग: डेटा एग्रीगेटर इकाइयाँ नियमों और शर्तों के तहत व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिये उपयोगकर्त्ताओं की सहमति लेकर अधिनियम में प्रदान की गई सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन कर सकती हैं।
  - यह देखते हुए कि प्राय: भारतीय उपयोगकर्त्ताओं में नियम और शर्तों या सहमति देने को लेकर जागरूकता का अभाव है, ऐसे में इस प्रावधान के दुरुपयोग की संभावना काफी अधिक है।
- डेटा गोपनीयता की उपेक्षा: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत प्रदान की गई रूपरेखा डेटा सुरक्षा पर ज़ोर देती है, किंतु इसमें डेटा गोपनीयता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।
  - संक्षेप में अधिनियम के मुताबिक, संस्थाओं के लिये उपयोगकर्त्ताओं के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिये उपाय करना तो अनिवार्य है, किंतु व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने में गोपनीयता को महत्त्व देने को लेकर उन पर कोई दायित्त्व निर्धारित नहीं किया गया है।
- समग्रता का अभाव: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत डेटा सुरक्षा संबंधी प्रावधान सरकारी एजेंसियों पर लागू नहीं होते हैं, ऐसे में यह अधिनियम तब असफल हो जाता है, जब सरकारी एजेंसियाँ बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा एकत्रण और प्रसंस्करण में संलग्न होती हैं।
- अप्रचलित: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को वर्ष 2000 में अधिनियमित किया गया था और यह वर्ष 2008 में संशोधित किया गया था। हालाँकि इसके बाद से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी में तीव्रता से बदलाव आया है।
  - ऐसे में डेटा प्रोसेसिंग तकनीक में नवीनतम विकास से उभरने वाले जोखिमों को दूर करने के मामले में यह अधिनियम अपर्याप्त रहा है।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP) विधेयक, 2019

इस विधेयक का उद्देश्य भारत में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण को लेकर व्यापक और सार्थक बदलाव लाना है। विधेयक के तहत प्रस्तावित नियम, मौजूदा अधिनियम से निम्नलिखित पहलुओं में अलग है:

- भूमिका निर्धारण: इस विधेयक में व्यक्तियों और फर्मों/राज्य संस्थानों के बीच के संबंधों को संहिताबद्ध करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें आम नागरिकों को 'डेटा प्रिंसिपल' (जिसकी जानकारी एकत्र की गई है) और कंपनियों तथा राज्य संस्थाओं को 'डेटा फिड्यूशरीज़' (डेटा को संसाधित करने वाले) के रूप में परिभाषित किया गया है।

नोट :

- गौरतलब है कि यह विधेयक सरकारी और निजी संस्थाओं दोनों पर लागू होता है।

- डेटा गोपनीयता: इसके तहत संस्थाओं को व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिये सुरक्षा उपायों को अपनाना होगा, साथ ही उन्हें डेटा सुरक्षा दायित्वों और पारदर्शिता तथा जवाबदेही संबंधी नियमों का भी पालन करना होगा।
  - संक्षेप में यह विधेयक उन संस्थाओं की जाँच के लिये एक तंत्र प्रदान करता है, जो उपयोगकर्त्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित और संसाधित करती हैं।

नोट

- वर्ष 2017 में एक मज़बूत डेटा संरक्षण कानून की आवश्यकता तब महसूस की गई थी., जब सर्वोच्च न्यायालय ने 'न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारतीय संघ' वाद में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया था।
- अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने एक डेटा संरक्षण कानून बनाने का आह्वान किया था, जो उपयोगकर्त्ताओं के व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता को प्रभावी ढंग से सुरक्षित कर सके।
- परिणामस्वरूप, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक मज़बूत डेटा संरक्षण कानून के मसौदे पर सुझाव देने के लिये न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।
- नागरिकों के अधिकार: यह विधेयक उपयोगकर्त्ताओं को व्यक्तिगत डेटा और संबंधित कुछ विशिष्ट अधिकार और उन अधिकारों का प्रयोग करने हेतु कुछ विशिष्ट साधन प्रदान करता है।
  - उदाहरण के लिये विधेयक के अनुसार, एक उपयोगकर्त्ता किसी इकाई के पास मौजूद विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत डेटा के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगा, साथ ही वह यह जानने में भी सक्षम होगा कि उस इकाई द्वारा किस प्रकार डेटा को संसाधित किया जाता है।
- नियामक की स्थापना: इस विधेयक में डेटा सुरक्षा प्राधिकरण (DPA) के रूप में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली नियामक की स्थापना की परिकल्पना की गई है।
  - DPA, कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डेटा प्रोसेसिंग गतिविधियों की निगरानी और विनियमन करेगा।
  - इसके अलावा DPA, उपयोगकर्त्ताओं को डेटा गोपनीयता के उल्लंघन के मामलों में शिकायत निवारण के लिये एक मंच प्रदान करेगा।

विधेयक से संबंधित मुद्दे

विधेयक में मौजूद कई प्रावधान इसकी प्रभावशीलता को लेकर चिंता पैदा करते हैं। यह विधेयक सरकारी एजेंसियों को व्यापक छूट देकर और उपयोगकर्त्ता सुरक्षा उपायों को कमज़ोर करके अपने स्वयं के उद्देश्यों और प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

- उदाहरण के लिये विधेयक के खंड-35 के तहत केंद्र सरकार किसी भी सरकारी एजेंसी को विधेयक का अनुपालन करने से छूट प्रदान कर सकती है।
  - ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा निर्धारित कोई संस्था बिना किसी सुरक्षा उपाय का पालन किये ही व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने में सक्षम होगी।
  - यह उपयोगकर्त्ताओं के लिये एक गंभीर गोपनीयता जोखिम उत्पन्न कर सकता है।
- सहमति की अवधारणा में बदलाव: यह विधेयक उपयोगकर्त्ताओं के लिये विभिन्न सुरक्षा उपायों (जैसे- अधिकार और उपचार) को लागू करना मुश्किल बनाता है।
  - उदाहरण के लिये यह विधेयक उन उपयोगकर्त्ताओं पर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान करता है, जो डेटा प्रोसेसिंग गतिविधि के लिये अपनी सहमति वापस लेते हैं।
  - व्यवहार में यह उपयोगकर्त्ताओं को उन प्रसंस्करण गतिविधियों के लिये सहमति वापस लेने से हतोत्साहित कर सकता है, जिन्हें वे अपनी सहमति नहीं देना चाहते हैं।
- DPA का व्यापक अधिदेश: DPA को विधेयक के प्रावधानों के तहत सहमति लेने, एकत्रित डेटा के उपयोग पर सीमा और डेटा के सीमा पार हस्तांतरण जैसे मुद्दों पर एक फ्रेमवर्क का निर्माण करने का कार्य सौंपा गया है।

नोट :

- यह देखते हुए कि DPA को सुरक्षा और पारदर्शिता आवश्यकताओं जैसे निवारक दायित्वों का एक विस्तृत कार्य सौंपा गया है, कहा जा सकता है कि इसका पर्यवेक्षी जनादेश व्यापक है जो कि इसे अप्रभावी बना सकता है।

निष्कर्ष

मौजूदा डिजिटल युग में डेटा एक मूल्यवान संसाधन है, जिसे अनियमित नहीं छोड़ा जाना चाहिये। इस संदर्भ में मौजूदा समय भारत के लिये एक मज़बूत डेटा सुरक्षा कानून की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है।

विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति वर्ष 2021 में संसद के मानसून सत्र में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ऐसे में इस अंतरिम अवधि का उपयोग विधेयक में कुछ बदलाव करने और उसे और बेहतर बनाने के लिये किया जा सकता है, ताकि इससे संबंधित विभिन्न चिंताओं को दूर किया जा सके और एक मज़बूत एवं प्रभावी डेटा सुरक्षा प्रणाली स्थापित की जा सके।

दृष्टि The Vision

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

स्वेज़ नहर में ब्लॉकेज

हाल ही में एक बड़े कंटेनर पोत, एम.वी. एवर गिवेन (MV Ever Given) के कारण स्वेज़ नहर का पारगमन मार्ग अवरुद्ध हो गया। विश्व के सबसे महत्त्वपूर्ण पारगमन मार्गों में से एक मानी जाने वाली स्वेज़ नहर में इस तरह के ब्लॉकेज/अवरोध के चलते वैश्विक शिपिंग में अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न हो गया।

यह अस्थायी अवरुद्धता वैश्विक व्यापार के लिये बहुत महँगी साबित हुई है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके कारण प्रति घंटे लगभग 400 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। जटिल एवं नाजुक रूप से संतुलित वैश्विक आपूर्ति-शृंखला और तेल की कीमतों पर इसके नकारात्मक प्रभाव के कारण ग्राहकों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।

स्वेज़ नहर का पारगमन मार्ग अवरुद्ध होने के कारण व्यापार और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव वैश्विक व्यापार की नाजुकता की ओर इशारा करता है जिसे मज़बूत किये जाने की आवश्यकता है।

स्वेज़ नहर : पृष्ठभूमि

- स्वेज़ नहर की उत्पत्ति का इतिहास बहुत पुराना है, मिस्र के राजा सेनूस्रेट तृतीय फिरौन के शासनकाल (1874 ईसा पूर्व) के दौरान प्रथम जलमार्ग की खुदाई की गई थी।
  - हालाँकि इस अल्पविकसित नहर को सिल्टिंग यानी गाद जमा होने के कारण छोड़ दिया गया था और बीच की शताब्दियों के दौरान इसे कई बार खोला भी गया था।
- फ्राँसीसियों के प्रयासों द्वारा 19वीं शताब्दी के मध्य में आधुनिक स्वेज़ नहर का निर्माण किया गया और 17 नवंबर, 1869 को इसे नेविगेशन के लिये खोला गया था।
- वर्ष 1858 में यूनिवर्सल स्वेज़ शिप कैनाल कंपनी (Universal Suez Ship Canal Company) को 99 वर्षों के लिये नहर के निर्माण और संचालन का काम सौंपा गया जिसके बाद इसका अधिकार मिस्र सरकार को सौंपा जाना था।
- मिस्र स्थित इस कृत्रिम समुद्री जलमार्ग का निर्माण भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिये वर्ष 1859 और 1869 के बीच किया गया था।
- स्वेज़ नहर यूरोप और एशिया को जोड़ने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, साथ ही यह अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप से होकर नेविगेट (जलयात्रा) करने की आवश्यकता को समाप्त करती है और इस तरह 7,000 किमी. तक की दूरी को कम करती है।
- स्वेज़ नहर के कारण ही एशिया और यूरोप के बीच मिस्र की स्थिति एक रणनीतिक जंक्शन के रूप में है। उपनिवेशों और अर्द्ध-उपनिवेशों द्वारा ज़ोर दिये जाने के बाद जमाल अब्देल नासेर ने वर्ष 1956 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया।
  - वर्ष 1956 में ब्रिटेन, फ्राँस और इज़रायल ने इस नहर पर निर्भर अपने कॉर्पोरेट हितों की रक्षा के लिये मिस्र पर आक्रमण किया। इस युद्ध को स्वेज़ संकट (Suez Crisis) की संज्ञा दी गई।

स्वेज़ नहर का महत्त्व

- उपनिवेशीकरण को सक्षम बनाने में: स्वेज़ नहर का निर्माण वैश्विक समुद्री कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण विकास था और इसने औपनिवेशिक इतिहास को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया।
  - ब्रिटिश साम्राज्य का उदय काफी हद तक इस नहर द्वारा ही सक्षम हुआ था।
- वैश्विक व्यापार की जीवन-रेखा: यह नहर पश्चिम और पूर्व के बीच सभी प्रकार के व्यापार हेतु एक जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है क्योंकि प्रतिवर्ष लगभग 10% वैश्विक व्यापार इस मार्ग से ही होता है।
  - नहर के माध्यम से प्रतिदिन भेजे जाने वाले माल की कीमत अनुमानत: 9.5 बिलियन डॉलर है और यह नहर मिस्र सरकार के लिये राजस्व के एक बड़े हिस्से का सृजन करती है।

नोट :

- ग्लोबल चोक पॉइंट्स में से एक: वोल्गा-डॉन और ग्रैंड कैनाल (चीन) के अलावा स्वेज़ और पनामा (जो प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़ती है) वैश्विक समुद्री क्षेत्र की दो सबसे महत्त्वपूर्ण नहरें हैं।

स्वेज़ के अवरुद्ध होने का प्रभाव:

- स्वेज़ नहर में उत्पन्न ब्लॉकेज की स्थिति महामारी तथा खरीद में उछाल के कारण पहले से ही दबावग्रस्त आपूर्ति श्रृंखला पर और अधिक दबाव डाल सकती है।
- इस अवरुद्धता के कारण मध्य-पूर्व से यूरोप तक तेल और प्राकृतिक गैसों का शिपमेंट भी प्रभावित हुआ है।

निष्कर्ष

- यह देखा जा सकता है कि भले ही वर्ष 1869 और 1956 से अब तक बहुत कुछ बदल गया है "जहाँ डेटा नए तेल की तरह है" फिर भी वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो अब भी इतिहास में तैयार की गई वास्तविक प्रणालियों के आधार पर चलता है।
- राजकोषीय और आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान के कारण उत्पन्न परिणामों को देखते हुए स्वेज़ नहर के संदर्भ में विशिष्ट मौजूदा प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉलों की निष्पक्ष समीक्षा करने की आवश्यकता है तथा निश्चित ही इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

व्यवसाय और मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय कार्ययोजना

भारत लंबे समय (लगभग एक दशक से अधिक) से व्यवसाय और मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत (UNGP) का समर्थन करता आ रहा है। इसके अनुरूप भारत को भी व्यवसाय और मानवाधिकार पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAP) विकसित करनी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यवसाय मानवाधिकारों का उल्लंघन न करें।

इस संदर्भ में नवंबर 2018 में व्यवसाय और मानवाधिकार फोरम, जिनेवा में भारत सरकार ने औपचारिक घोषणा करते हुए कहा था कि वह व्यवसाय और मानव अधिकारों पर एक राष्ट्रीय कार्ययोजना विकसित करेगा।

फरवरी 2019 में भारत ने व्यवसाय और मानव अधिकारों पर एक राष्ट्रीय कार्ययोजना का मसौदा प्रकाशित किया, जिसे 'ज़ीरो ड्राफ्ट' के रूप में भी जाना जाता है तथा इस राष्ट्रीय कार्ययोजना को वर्ष 2020 में अंतिम रूप से प्रकाशित करने का लक्ष्य था। हालाँकि अंतिम NAP अभी भी तैयार नहीं है।

व्यवसाय और मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय कार्ययोजना की आवश्यकता

- लक्ष्य: यह योजना तीन सिद्धांतों पर आधारित होगी- 'संरक्षण का राजकीय कर्तव्य', 'सम्मान का कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व' और 'उपचार तक पहुँच।' अर्थात् यह राष्ट्रीय कार्य योजना राज्य के कर्तव्य को निर्धारित करने में (मानव अधिकारों की रक्षा, सम्मान के लिये कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व निर्धारित करने और व्यापार से संबंधित मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ उपाय सुनिश्चित करने हेतु) भारत के कानूनी ढाँचे का अनुसरण करेगी।
- प्रेरणा स्त्रोत: भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना गांधीवादी सिद्धांत के 'ट्रस्टीशिप' से प्रेरित है, जो परिभाषित करती है कि व्यापार का उद्देश्य सभी हितधारकों की सेवा करना है।
- आवश्यकता: विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि कोविड -19 महामारी हितधारक पूंजीवाद की अवधारणा के लिये एक लिटमस परीक्षण है।
  - NAP कोविड-19 के संदर्भ में इसलिये अधिक प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि इस महामारी ने व्यवसाय संचालन संबंधी कई व्यवस्थागत कमज़ोरियों को उजागर किया है।
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का अनुमान है कि कोविड -19 के कारण 400 मिलियन भारतीय श्रमिकों का निर्धनता के निम्न स्तर तक पहुँचने का खतरा है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता: यह व्यवसाय और मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत (जिनका भारत एक हस्ताक्षरकर्त्ता है) की परिकल्पना करता है, जबकि राज्य की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि सिद्धांत के सभी तीनों स्तंभ वास्तविक रूप में प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।
  - इसके अलावा सतत् विकास लक्ष्य 8 (SDG 8) का एजेंडा 2030 व्यावसायिक क्षेत्रों में मानव अधिकारों की प्राप्ति पर केंद्रित है।

नोट :

व्यापार और मानव अधिकार संबंधी मामले

- समयावधि:
  - पिछले दो दशकों में मानवाधिकारों और पर्यावरण अधिकारों के उल्लंघन के आरोप में कई संयंत्र बंद कर दिये गए:
    - कोका कोला संयंत्र : प्लाचीमाड़ा (2004), मेहदीगंज (2013) और हापुड़ (2016)।
    - हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (मरकरी) संयंत्र, कोडाइकनाल (2001)।
    - स्टरलाइट कॉपर प्लांट, थूथुकुडी (2018)।
- विचलन:
  - इसके लिये एक कानून बनाया गया है, जो कंपनियों को स्कूल परिसर के आस-पास तंबाकू का विज्ञापन करने से रोकता है जबकि इसके विपरीत कक्षाओं के अंदर तंबाकू से संबंधित आईटीसी लिमिटेड के नोटबुक और उन पर प्रिंटेड लोगो (logo) विज्ञापन के रूप में मौजूद हैं।
  - भारत में प्रतिवर्ष एक मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु तंबाकू के सेवन के कारण होती है। हालाँकि लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन (LIC) तंबाकू कंपनी के निवेशकों में से एक है, जिसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है।
  - PUBG जैसे खेलों में बच्चों के शामिल होने के कारण उनके माता-पिता को दोषी ठहराया जाता है।
  - लेकिन कनाडा के एक स्कूल में बच्चों के माता-पिता ने यह आरोप लगाया कि "कंपनियाँ मनोवैज्ञानिकों को नियुक्त करती हैं, जो मानव मस्तिष्क को पढ़ने कार्य करते हैं और खेल को यथासंभव नशे की लत बनाने के लिये प्रयास करते हैं"।

एनएपी के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- चरम अनौपचारिकरण: भारत अत्यधिक अनौपचारिकताओं का सामना करता है, जैसे: कम कुशल और कम वेतन वाली नौकरियाँ, वेतन में लैंगिक अंतर, बाल श्रम की व्यापकता और मज़दूर/बंधुआ मज़दूरी के मुद्दे।
  - सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, संघीकरण और सामूहिक सौदेबाज़ी विशेष रूप से अनौपचारिक श्रमिकों के लिये एक चुनौती बनी हुई है।
- विवाद का उच्च स्तर: समुदायों को उनके जीवन और आजीविका के लिये आवश्यक भूमि, पानी तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच एवं नियंत्रण के अधिकार से वंचित रखना भी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है जिसे NAP के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिये।
- शिकायत निवारण तंत्रों की कमी: NAP के प्रभावी कार्यान्वयन में उपाय तक पहुँच एक बड़ी चुनौती है।
  - परिचालन-स्तरीय शिकायत तंत्रों की कमी कभी-कभी हितधारकों के लिये उपचार तंत्र तक पहुँचने में बाधक साबित हो सकती है।

आगे की राह:

- CAG को मज़बूत बनाना: CAG को उन लेखा परीक्षक मानकों, जो मानव-अधिकारों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और सभी सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिये समानता की मांग करते हैं, को विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
  - इसमें सार्वजनिक खरीद और सार्वजनिक निवेश के सभी मामलों में मानव अधिकारों के लिये सम्मान सुनिश्चित करना चाहिये।
- CEC को मज़बूत करना: केंद्रीय चुनाव आयोगों (CEC) को राजनीतिक दलों के कॉर्पोरेट फंडिंग को विनियमित करने के लिये अनिवार्य किया जाना चाहिये, जिसमें दान के अनिवार्य खुलासे के साथ-साथ व्यवसायों और राजनीतिक दलों के हितों के संघर्ष को निर्देशित करना शामिल है।
- NHRC और SHRC को मज़बूत बनाना: व्यवसायों को नोटिस जारी करने और व्यवसायों में मानव अधिकारों की स्थिति की निगरानी हेतु व्यवसाय और मानवाधिकार लोकपाल बनाने के लिये मानव अधिकार आयोगों की शक्तियों का विस्तार करने की आवश्यकता है।
- MSME को मज़बूत बनाना: भारत में बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु और मध्यम (MSME) उद्योग स्थापित हैं। भारत के NAP की सफलता, एमएसएमई क्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय कार्ययोजना को अपनाने की क्षमता पर टिकी हुई है।
  - सरकार बड़ी कंपनियों द्वारा प्रशिक्षण, जागरूकता और प्रोत्साहन के माध्यम से MSME क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रही है।
- सिंक्रोनाइज़िंग एजुकेशन: व्यवसाय प्रबंधक मानवाधिकारों को केवल एक जोखिम के रूप में देखेंगे, न कि व्यावसायिक रूप में। इस प्रकार व्यावसायिक और मानव अधिकारों को प्रबंधन पाठ्यक्रम का एक मुख्य हिस्सा बनाने के लिये सक्रिय प्रयास करने की आवश्यकता है।

नोट :

- ताकि प्रत्येक व्यवसाय प्रबंधक को एक मानवाधिकार रक्षक बनाया जा सके।

- अंतर्स्थापित उत्तरदायित्व: भविष्य के कार्य, गोपनीयता और असमानता पर प्रौद्योगिकी का बढ़ता प्रभाव और प्रभुत्व भारत के लिये चिंता का विषय है।
  - NAP को अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के अधिकारों के साथ शुरू होने वाले मानवाधिकार मुद्दों पर प्रौद्योगिकी कंपनियों की जवाबदेही को शामिल करने के लिये कदम उठाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत के लिये NAP प्रक्रिया सतत् और समावेशी विकास के माध्यम से दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी और उत्तरदायी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान प्राप्त करने का एक अवसर है। व्यवसाय और मानवाधिकारों पर राष्ट्रीय कार्ययोजना भारतीय व्यवसायों को उनके उद्देश्य को फिर से परिभाषित करने और इस महामारी से मनुष्य को बाहर निकालने में एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम कर सकती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण

बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसकी प्रमुख प्रेरक शक्ति हैं। हालाँकि हाल के वर्षों में, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) घोटाले के शिकार हुए हैं और उच्च गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के कारण भी इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है।

इसके कारण कई अर्थशास्त्रियों ने सरकार को PSB के निजीकरण का सुझाव दिया है और अब RBI तथा सरकार इन बैंकों के निजीकरण पर विचार कर रहे हैं।

हालाँकि कोई भी निर्णय लेने से पहले सरकार को राष्ट्रीयकृत PSB के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर सक्रिय रूप से विचार करना चाहिये।

बैंकों के राष्ट्रीयकृत बने रहने के पक्ष में तर्क

- बैंकिंग क्षेत्र का लोकतंत्रीकरण: भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में पहली बार किया गया था। इससे पहले वे अपने धन का 67% उद्योगों को देते थे और कृषि क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने के प्रति अत्यंत उदासीन थे।
- इसके अलावा, वाणिज्यिक बैंक किसानों को पैसा उधार नहीं दे सकते थे क्योंकि वे केवल 1% से भी कम गाँवों में मौजूद थे।
- जब हरित क्रांति चल रही थी तब किसानों को बैंक ऋण नहीं मिल पाया था और उन्हें अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये महँगी लागत हेतु अधिक क्रेडिट की आवश्यकता थी।
- इस प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंकों ने जनता की बैंकिंग सेवाओं के लोकतंत्रीकरण में मदद की।
- सामाजिक कल्याण को बढ़ाना: सार्वजनिक बैंक भारत के गैर-लाभकारी ग्रामीण क्षेत्रों या गरीब क्षेत्रों में भी शाखाएँ, एटीएम, बैंकिंग सुविधाएँ आदि उपलब्ध कराते हैं, जहाँ बड़ी जमा राशि प्राप्त करने या पैसा कमाने की संभावना कम होती है।
- हालाँकि निजी बैंक ऐसा करने के इच्छुक नहीं होते हैं और वे प्राय: ऐसी सुविधाएँ शहरी क्षेत्रों में खोलना पसंद कर सकते हैं।
- यदि कॉर्पोरेट क्षेत्र को फिर से बैंकिंग पर हावी होने दिया जाता है तो जनता की सेवा करने की इच्छा के बजाय लाभ कमाना उनका प्रमुख उद्देश्य बन जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण: ज्यादातर पूर्वी एशियाई सफल देशों के संदर्भ में यह देखा गया कि वहाँ की वित्तीय प्रणालियों को प्रभावी रूप से सरकारों द्वारा नियंत्रित किया गया है।
- दूसरी ओर, पश्चिमी देश जहाँ बैंकिंग काफी हद तक निजी क्षेत्र के हाथों में है, की सरकारों को निजी बैंकों को दिवालिया होने से बचाना पड़ा है।

बैंकों के राष्ट्रीयकृत बने रहने के विरुद्ध तर्क

- निजीकरण का मतलब है सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी को पूरी तरह से या आंशिक रूप से निजी क्षेत्र को बेचना या इसके स्वामित्व को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना। भारत की अर्थव्यवस्था को अपेक्षाकृत बंद अर्थव्यवस्था से मुक्त करने के लिये यह वर्ष 1991 में निजीकरण को बढ़ावा दिया गया था।

नोट :

हालाँकि हाल के वर्षों में निम्नलिखित कारक भारत सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण हेतु प्रेरित कर रहे हैं:

- NPA का विस्तार: बैंकिंग प्रणाली गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के बोझ से दबी हुई है और यह समस्या अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निहित है।
- विनियामक निगरानी की कमी: PSB को RBI (RBI अधिनियम, 1934 के तहत) और वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत) द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किया जाता है।
- इस प्रकार RBI के पास PSB के नियंत्रण से संबंधित सभी शक्तियाँ नहीं हैं, जो कि निजी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में प्राप्त हैं, जैसे कि बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने, बैंक का विलय करने, बैंक को बंद करने या निदेशक मंडल को दंडित करने से संबंधित शक्तियाँ।
- स्वायत्तता का अभाव: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बोर्ड अभी भी पर्याप्त रूप से विशेषज्ञता प्राप्त नहीं हैं, क्योंकि सरकार की अभी भी बोर्ड के सदस्यों की नियुक्तियों में बड़ी भूमिका है।
- यह बैंकों के सामान्य कामकाज में राजनीतिकरण और हस्तक्षेप का मुद्दा बनता है।
- इसे टेलीफोन बैंकिंग कहा जाता है, जिसमें राजनेता बैंक अधिकारियों को टेलीफोन रिंग द्वारा अपने क्रोनियों को पैसा उधार देने के निर्देश देते हैं।
- मुनाफे की निकासी: निजी बैंक लाभ-चालित होते हैं जबकि सरकारी योजनाओं जैसे कि कृषि ऋण माफी आदि से PSB का कारोबार बाधित होता है।
- सामान्य तौर पर, सार्वजनिक उपक्रमों को सार्वजनिक मांग के चलते अनुत्पादक परियोजनाओं को भी वित्त उपलब्ध कराना होता है।

आगे की राह

- शासन में सुधार: PSB के शासन और प्रबंधन में सुधार के लिये पीजे नायक समिति की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता है।
- बैंकों को जोखिम रहित बनाना: NPA के प्रभावी समाधान और ऋण देने के लिये विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता है।
- इस संदर्भ में बेड बैंकों की स्थापना और इनसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के माध्यम से NPA के शीघ्र समाधान की दिशा में कदम अत्यंत प्रभावी हैं।
- PSB का निगमीकरण: अंधे निजीकरण के बजाय PSB को जीवन बीमा निगम (एलआईसी) जैसे निगम में परिवर्तित किया जा सकता है। यह सरकारी स्वामित्व को बनाए रखते हुए PSBs को अधिक स्वायत्तता देगा।

निष्कर्ष

निजी क्षेत्र के बैंकों के पास PSB की तुलना में बेहतर बैलेंस शीट होने के बावजूद यह विचार करना बहुत महत्त्वपूर्ण है कि केवल निजीकरण इस क्षेत्र के सामने आने वाली सभी समस्याओं को हल नहीं करेगा। निजीकरण से बेहतर समाधान शायद स्वयं को सुधारने के लिये PSB को स्वायत्तता देना और उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहते हुए कार्य करने देना हो सकता है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

भारत-बांग्लादेश संबंधों का विकास

26-27 मार्च, 2021 को भारत के प्रधानमंत्री बांग्लादेश की आज़ादी के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने के लिये आधिकारिक दौरे पर रहे। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम (Bangladesh's Liberation War) के दौरान भारत ने इसे राजनीतिक, राजनयिक, सैन्य और मानवीय समर्थन प्रदान कर इसके निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और भारत व बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष भी इसी साल पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और बांग्लादेश के बीच 50 वर्षों के मज़बूत संबंधों को प्रदर्शित करती है, जो द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से पूरे क्षेत्र के लिये एक आदर्श के रूप में विकसित हुए हैं।

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली विदेश यात्रा है जो यह दर्शाती है कि भारत अपने पूर्वी पड़ोसी के साथ संबंधों को बहुत अधिक महत्त्व देता है।

इसके अलावा कुछ हालिया घटनाक्रम भारत-बांग्लादेश संबंधों पर दोनों पक्षों की गहरी समझ को उजागर करते हैं। तथापि दोनों देशों के बीच लाभप्रद संबंधों के विकास में कुछ ऐसी चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं जिन्हें हल किये जाने की आवश्यकता है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों में नए रुझान:

पिछले एक दशक में भारत-बांग्लादेश संबंधों को बढ़ावा मिला है, दोनों देश सहयोग के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं तथा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों से आगे बढ़ते हुए व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में अधिक सहयोग कर हैं। संबंधों में यह विस्तार निम्नलिखित घटनाक्रमों में परिलक्षित होता है:

- सैन्य सहयोग: प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार ने अपनी सीमाओं से भारत विरोधी उग्रवादी तत्त्वों को समाप्त करने का कार्य किया है जिसके परिणामस्वरूप भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र के सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्रों में से एक बन गई है।
  - भारत-बांग्लादेश सीमा पर उग्रवादी तत्त्वों के समाप्त होने से भारत को अपने संसाधनों का पुनर्वितरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है यानी यह अपने सैन्य संसाधनों को उन सीमाओं पर स्थानांतरित कर सकता है जो अधिक विवादास्पद हैं।
  - इसके अलावा बांग्लादेश ने कई "सर्वाधिक वांछित" अपराधी भी भारत को सौंपे हैं।
  - भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा बांग्लादेश के पक्ष में दिये गए निर्णय को भी स्वीकार किया है, जिसने 40 साल पुराने समुद्री विवाद को सुलझाने के साथ-साथ दोनों देशों के बीच विश्वास पैदा करने का कार्य किया है।
- भूमि सीमा समझौता: वर्ष 2015 में बांग्लादेश और भारत ने ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते (Land Boundary Agreement) की पुष्टि कर अपनी सीमाओं से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्वक हल करने के क्रम में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
  - इस समझौते के तहत विदेशी अंत:क्षेत्र (Enclave) के निवासियों को निवास हेतु अपना देश चुनने और भारत या बांग्लादेश (दोनों में से किसी एक) का नागरिक बनने का विकल्प प्रदान किया गया।
- व्यापार संबंध: बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत से बांग्लादेश को किया जाने वाला निर्यात 9.21 बिलियन डॉलर और आयात 1.04 बिलियन डॉलर का था।
  - इसके साथ ही भारत ने कई बांग्लादेशी उत्पादों को शुल्क मुक्त पहुँच प्रदान करने की पेशकश भी की है।
- विकास के क्षेत्र: विकास के मोर्चे पर भी दोनों देशों के बीच सहयोग में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में भारत ने सड़कों, रेलवे, पुलों और बंदरगाहों के निर्माण हेतु बांग्लादेश को 8 बिलियन डॉलर की राशि लाइन ऑफ क्रेडिट (एक प्रकार का ऋण) के रूप में प्रदान की है।

नोट :

क्या है लाइन ऑफ क्रेडिट ?

- लाइन ऑफ क्रेडिट (Line of Credit-LOC) एक प्रकार का 'सुलभ ऋण' (Soft Loan) होता है जो एक देश की सरकार द्वारा किसी अन्य देश की सरकार को रियायती ब्याज दरों पर दिया जाता है। आमतौर पर LOC इस प्रकार की शर्तों से जुड़ी होती है कि उधार लेने वाला देश उधार देने वाले देश से कुल LOC का निश्चित हिस्सा आयात करेगा। इस प्रकार दोनों देशों को अपने व्यापार और निवेश संबंधों को मज़बूत करने का अवसर मिलता है।
- बेहतर कनेक्टिविटी: दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी में बहुत अधिक सुधार हुआ है।
  - कोलकाता और अगरतला के बीच एक सीधी बस सेवा (ढाका से होते हुए) शुरू होने से दोनों स्थानों के बीच यात्रा के लिये केवल 500 किमी. की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि चिकेन नेक के माध्यम से यात्रा करने पर 1,650 किमी. की दूरी तय करनी पड़ती है।
    - चिकन नेक (Chicken's Neck) अथवा सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित भूमि की एक संकीर्ण पट्टी है, जो पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ती है।
  - बांग्लादेश अपने मोंगला और चटोग्राम (चटगाँव) बंदरगाह से माल की ढुलाई की अनुमति देता है, जहाँ से सड़क, रेल और जलमार्ग के माध्यम से माल को अगरतला तक पहुँचाया जाता है।
- सहयोग के नए क्षेत्र: भारत आने वाले पर्यटकों में एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेशी पर्यटकों का है, वर्ष 2017 में पश्चिमी यूरोप से आने वाले पर्यटकों के आँकड़ों को पीछे छोड़ते हुए भारत आने वाले पर्यटकों में से प्रत्येक पाँचवाँ पर्यटक बांग्लादेश से था।
  - भारत के अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा रोगियों (ईलाज हेतु अन्य देशों से भारत आने वाले मरीज़) में 35% से अधिक हिस्सेदारी बांग्लादेश की है और भारत के राजस्व में 50% से अधिक योगदान चिकित्सा यात्रा का है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों के समक्ष चुनौतियाँ:

- तीस्ता नदी विवाद: उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद तीस्ता नदी के जल बँटवारे का मुद्दा दोनों देशों के बीच विवाद का एक बड़ा कारण बना हुआ है।
- अवैध प्रवासन: सीमा पर बांग्लादेशी नागरिकों के मारे जाने की वजह से भी दोनों देशों के बीच संबंध प्रभावित हुए हैं। वर्ष 2020 में सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा पर गोलीबारी की सबसे अधिक घटनाएँ देखी गईं।
  - सीमा सुरक्षा बल द्वारा गोलीबारी तब की जाती है जब बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं।
- NRC और CAA: भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens- NRC) को लागू करने के प्रस्ताव और नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizen Amendment Act- CAA) को लागू किये जाने से भी भारत-बांग्लादेश संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- चीन फैक्टर: 'नेबरहुड फर्स्ट' की नीति अपनाने के बावजूद चीन के क्षेत्र में भारत का प्रभाव कम हो रहा है।
  - भारत के पारंपरिक सहयोगी माने जाने वाले श्रीलंका, नेपाल और मालदीव जैसे देशों का झुकाव भी चीन के प्रति बढ़ रहा है क्योंकि चीन द्वारा इन देशों में व्यापार, अवसंरचना और रक्षा क्षेत्र में व्यापक निवेश किया जा रहा है।
  - चीन, अपनी चेक-बुक डिप्लोमेसी के आधार पर दक्षिण एशिया में अच्छी पहुँच स्थापित करने में सफल रहा है। दक्षिण एशिया के जिन देशों में चीन अपनी पहुँच बढ़ाने में सफल हुआ है उनमें बांग्लादेश भी शामिल है जिसके साथ इसने महत्त्वपूर्ण आर्थिक और रक्षा संबंध स्थापित किये हैं।
    - चेक डिप्लोमेसी का तात्पर्य किसी देश द्वारा अपनी वैदेशिक रणनीति की सहायता से दूसरे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा बदले में उस देश की आर्थिक नीति एवं राजनीति में अपने हित/स्वार्थ के अनुसार बदलाव करने से है।

आगे की राह

- भारत को बांग्लादेश से सीख: बांग्लादेश सामाजिक संकेतकों के साथ क्षेत्र की सबसे तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है, जिससे भारत सहित अन्य देश सीख प्राप्त कर हैं।
  - यह एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है जिसके साथ भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति में निहित आर्थिक या रणनीतिक आधारों की पूर्ण क्षमता का एहसास कर सकता है।

नोट :

- जल साझाकरण: जहाँ एक ओर सभी देश समानता की इच्छा रखते हैं, वहीं दूसरी ओर यह इच्छा भी रखते हैं कि बड़े देश इस समानता की रक्षा हेतु अधिक ज़िम्मेदारी लें। अत: भारत-बांग्लादेश संबंधों में भारत को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिये।
  - इस प्रकार एक बड़े देश के रूप में भारत पर यह दायित्व है कि वह अत्यंत उदारता के साथ तीस्ता तथा अन्य छ: नदियों से संबंधित विवाद का समाधान करे।
- व्यापार संतुलन: यदि भारतीय पक्ष से गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाया जाए तो दोनों देशों के बीच व्यापार अधिक संतुलित हो सकता है।

निष्कर्ष

बांग्लादेश अपनी आज़ादी की स्वर्ण जयंती मना रहा है और भारत इसके सबसे महत्त्वपूर्ण पड़ोसियों तथा रणनीतिक साझेदारों में से एक है। अत: दोनों देशों के बीच संबंधों के हालिया विकास को अपरिवर्तनीय बनाने हेतु इन्हें सहयोग (Cooperation), सहकार्यता (Collaboration) और समेकन (Consolidation) पर काम जारी रखने की आवश्यकता है।

भारत का समुद्री सिद्धांत

हाल ही में जो बाइडन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका के नए रक्षा सचिव ने भारत का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों और अमेरिकी समुद्री बलों के बीच सहयोग बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करना था।

यह अमेरिकी विदेश नीति में विशेष रूप से भारत-प्रशांत संबंधों में भारत के रणनीतिक महत्त्व को रेखांकित करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने हिंद महासागर में मुख्य रूप से अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण एक लाभप्रद स्थिति प्राप्त की है।

इसके अलावा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्द्धा में आई कमी ने भारत को अपने सीमित समुद्री दृष्टिकोण के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी की भूमिका में बने रहने की संभावना को बढ़ाया है, हालाँकि भारत की समुद्री नीति के समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी हैं।

भारत के समक्ष समुद्री नीति संबंधी चुनौतियाँ:

- हिंद महासागर में साइलो-केंद्रित दृष्टिकोण- भारतीय राजनेताओं ने हिंद महासागर को कई उप-क्षेत्रों में विभाजित किया है।
  - भारत, हिंद महासागर में अपने रणनीतिक सहयोगियों के रूप में मॉरीशस और सेशेल्स के साथ एक परंपरागत काल्पनिक रेखा खींचता है।
  - उप-क्षेत्रों के संदर्भ में भारत की प्राथमिकता उत्तरी (अरब सागर और बंगाल की खाड़ी) और पूर्वी हिंद महासागर (अंडमान सागर और मलक्का जलडमरूमध्य) में है।
  - इसके कारण पश्चिमी हिंद महासागर और अफ्रीका के पूर्वी तट अभी भी भारत की विदेश नीति की समुद्री परिधि में बने हुए हैं।
- सामरिक चोक पॉइंट की कमज़ोर स्थिति- चीन ने अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा पश्चिमी हिंद महासागर में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जिबूती में स्थापित किया था।
  - रूस ने भी हाल ही में सूडान, स्वेज़ नहर और बाब-अल-मंदेब (हिंद महासागर में) के मध्य लाल सागर तट पर एक रणनीतिक चोक पॉइंट का अधिग्रहण किया है।
  - हालाँकि एंटी-पायरेसी मिशन से परे इस क्षेत्र में भारत की उपस्थिति और अफ्रीकी तट के साथ समुद्री जुड़ाव काफी हद तक इसकी विशेषता रही है।
- चीनी मुखरता का बढ़ना- समुद्री रेशम मार्ग के माध्यम से चीन महासागर के पार समुद्री तटों (Littorals) और द्वीपों के साथ संलग्नता बनाए हुए है।
  - चीन, हिंद महासागर में पहुँच बढ़ाने के लिये श्रीलंका से कोमोरोस तक अपनी कूटनीतिक, राजनीतिक और सैन्य क्षमता में लगातार सुधार कर रहा है।
- महाद्वीपीय पूर्वाग्रह- भारतीय नौसेना को लगभग 14% रक्षा बजट आवंटित किया जाना स्पष्ट रूप से रक्षा प्रतिष्ठानों की प्राथमिकता को इंगित करता है। साथ ही यह संकेत भी देता है कि समुद्री मुद्दों की ओर भारत ने अपना ध्यान भली-भाँति केंद्रित नहीं किया है।

नोट :

आगे की राह:

- विदेश और रक्षा नीतियों का समन्वय: वर्ष 2016 में विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs- MEA) के तहत हिंद महासागर प्रभाग की स्थापना यह दर्शाती है कि MEA अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपना रहा है।
  - हालाँकि रक्षा क्षेत्र का विदेश नीति के साथ समन्वय होना आवश्यक है।
- हिंद महासागर का समग्र दृष्टिकोण: हिंद महासागर क्षेत्र में चीन, भारत के हितों के समक्ष प्रमुख प्रतियोगी के रूप में उभर रहा है।
  - इस प्रकार हिंद महासागर को एक अविरत स्थान (Continuous Space) के रूप में देखने और क्षेत्रीय गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता है।
- महत्त्वपूर्ण खिलाड़ियों के साथ सहयोग: भारत को अमेरिका के साथ बहुपक्षीय समूहों के नेटवर्क जैसे कि भारत-ऑस्ट्रेलिया-जापान मंच और फ्राँस तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ त्रिपक्षीय बातचीत के माध्यम से अपनी साझेदारी को बढ़ाना चाहिये।

निष्कर्ष

हालाँकि यह कदम भारत के हालिया महाद्वीपीय मुद्दों जैसे डोकलाम और लद्दाख आदि को सुलझाने के लिये नहीं है, यहाँ समुद्री भूगोल के महत्त्व और भारत के रणनीतिक हितों तथा इस क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा से इसकी संलग्नता को समझने की आवश्यकता है।

क्या भारत को नाटो में शामिल होना चाहिये?

पिछले कुछ वर्षों में यूरोपीय देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने पर बल दिया है। भारत को यह भी ज्ञात है कि कोई भी एकल शक्ति हिंद-प्रशांत में स्थिरता और सुरक्षा पैदा नहीं कर सकती है।

इसके अलावा चीन के राजनीतिक रूप से विश्वसनीय और समान विचारधारा वाले राज्यों के साथ घनिष्ठ सुरक्षा संबंधों ने भारत की चिंता को बढ़ाया है। इस भू-राजनीतिक चुनौती से निपटने के लिये भारत को चीनी शक्ति के आधिपत्य के प्रति-संतुलन के लिये अधिक प्रयास करने होंगे।

ऐसी एक व्यवस्था जो हाल ही में कई पश्चिमी देशों द्वारा अपनाई गई है, भारत को नाटो की सदस्यता प्रदान करती है। हालाँकि भारत में NATO की सदस्यता के सकारात्मक प्रभाव के साथ-साथ नकारात्मक प्रभाव भी होंगे।

भारत के नाटो सदस्य बनने के पक्ष में तर्क

- शीत युद्ध की समाप्ति: शीत युद्ध के दौरान भारत ने किसी भी ऐसे सैन्य ब्लॉक (NATO या USSR के नेतृत्व में वारसा संधि) में शामिल होने से इनकार कर दिया था जो भारत की गुटनिरपेक्षता को प्रभावित करती थी।
  - 1989-91 में शीत युद्ध की समाप्ति के समय इस तर्क का थोड़ा-बहुत औचित्य था लेकिन उसके बाद से नाटो ने कई तटस्थ और गुटनिरपेक्ष राज्यों के साथ साझेदारी की है।
- अवरोध का निवारण: नाटो संधि के अनुच्छेद 5 में प्रावधान है कि नाटो के किसी भी सदस्य देश के खिलाफ हमले को गठबंधन के सभी सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा और नाटो द्वारा हमलावर के खिलाफ संयुक्त सैन्य कार्रवाई का आह्वान किया जाएगा।
  - यह चीन और पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला करने के मार्ग में अवरोध पैदा करेगा।
- सैन्य-सामरिक लाभ: भारत-नाटो वार्ता का सीधा मतलब एक सैन्य गठबंधन के साथ नियमित संपर्क स्थापित होना है, जिसके अधिकांश सदस्य भारत के सुव्यवस्थित भागीदार हैं।
  - इसके अलावा नाटो के कई सदस्यों के साथ भारत का सैन्य आदान-प्रदान के क्षेत्र में सहयोग है, जिसमें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रारूपों में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्राँस शामिल हैं।
  - इसलिये भविष्य में दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठन के साथ सैन्य-रणनीतिक गठबंधन से भारत लाभ प्राप्त करेगा।
- बहुआयामी युग : भारत, चीन और विकासशील देशों के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (WTO) से गठबंधन कर सकता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक "क्वाड" पर विचार करते हुए चीन का विरोध करता है।
  - साथ ही मिस्र और इज़रायल दोनों नाटो सहयोगी हैं जिनका रूस के साथ रक्षा संबंध हैं।
  - स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और ऑस्ट्रिया सभी लंबे समय से चली आ रही तटस्थ परंपराओं के साथ नाटो सहयोगी सदस्य हैं।

नोट :

- कई मुद्दों पर अभिसरण: भारत और नाटो के मध्य स्थापित संबंध कई क्षेत्रों (आतंकवाद, भू-राजनीति सहित) में उत्पादों के विनिमय की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जैसे -सैन्य संघर्ष की उभरती प्रकृति, बढ़ती सैन्य प्रौद्योगिकियों की भूमिका और नए सैन्य सिद्धांत।

भारत के नाटो सदस्य बनने के विपक्ष में तर्क

- नाटो का आंतरिक संघर्ष: नाटो सदस्य सैन्य बोझ को साझा करने और एक स्वतंत्र सैन्य भूमिका के लिये नाटो और यूरोपीय संघ के बीच सही संतुलन बनाने के बारे में परस्पर विरोधी राय रखते है।
  - इसके अतिरिक्त नाटो सदस्य रूस, मध्य-पूर्व और चीन से संबंधित नीति पर भी असहमत हैं।
- रूस के साथ प्रतिकूल संबंध: नाटो का सदस्य बनने से भारत और रूस के मध्य लंबे समय से स्थापित मज़बूत संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
  - रूस ने अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते सामरिक अभिसरण पर नाराज़गी व्यक्त की है।
  - इसके अतिरिक्त यह चीन और रूस के बीच स्थापित संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान कर सकता है।
  - भारत अभी भी रूसी सैन्य उपकरणों पर बहुत अधिक निर्भर है , इसलिये नाटो में शामिल होने का विचार भारत के लिये सही नहीं होगा।
- संप्रभुता का मुद्दा: भारतीय सीमा क्षेत्र में नाटो आधारित संगठनों की स्थापना एक अहम मुद्दा होगा।
  - यह देश में व्यापक विरोध को बढ़ावा दे सकता है जिसको हमारी संप्रभुता का उल्लंघन भी माना जा सकता है।
- विभिन्न संघर्षों में शामिल होना: नाटो में शामिल होने का नकारात्मक पक्ष यह है कि भारत दुनिया भर के विभिन्न संघर्षों में भागीदार माना जाएगा।
  - इसके परिणामस्वरूप विभिन्न संघर्षों में बहुत से भारतीय सैनिक मारे जाते हैं। अत: भारत को नाटो में शामिल होने का कोई उचित कारण नहीं दिखाई देता।

निष्कर्ष :

भारत और पश्चिमी देशों के बीच नौकरशाही के जुड़ाव ने भारत को अटलांटिक में उभरते भू-राजनीति का लाभ उठाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालाँकि भारत के वर्तमान सक्रिय दृष्टिकोण ने निश्चित रूप से इस लंबे राजनीतिक उपेक्षा को समाप्त करने की मांग की है।

विभिन्न पक्षों को देखते हुए नाटो देशों के साथ एक व्यावहारिक जुड़ाव भारत की विदेश नीति का महत्त्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिये लेकिन भारत को नाटो का औपचारिक सदस्य बनने से बचना चाहिये ।

भारत की शरणार्थी नीति

संदर्भ

हाल ही में म्याँमार में हुए सैन्य तख्तापलट और उसके बाद उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप भारत में अवैध प्रवासियों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत के समक्ष म्याँमार के रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा पहले से ही विद्यमान है ऐसे में वर्तमान राजनीतिक संकट के कारण म्याँमार से आने वाले अवैध प्रवासियों का मुद्दा निश्चित तौर पर चिंता का विषय है।

ऐतिहासिक रूप से भारत में कई पड़ोसी देशों के शरणार्थियों आए हैं। शरणार्थी राज्य के लिये एक समस्या बन जाते हैं क्योंकि इससे देश के संसाधनों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है साथ ही लंबी अवधि में जनसांख्यिकीय परिवर्तन में वृद्धि कर सकता है इसके अतिरिक्त सुरक्षा जोखिम भी उत्पन्न हो सकता है।

हालाँकि शरणार्थियों की देखभाल मानवाधिकार प्रतिमान का मुख्य घटक है। इसके अलावा किसी भी स्थिति में भारत में शरणार्थी प्रवास के भू-राजनीतिक, आर्थिक, जातीय और धार्मिक संदर्भों को देखते हुए इसके जल्द समाप्ति की संभावना नहीं दिख रही है।

इसलिये भारत में शरणार्थी संरक्षण के मुद्दे को संदर्भित और संबोधित करने तथा उचित कानूनी एवं संस्थागत उपायों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता है।

भारत की शरणार्थी संबंधी नीति

- भारत में शरणार्थियों की समस्या के समाधान के लिये विशिष्ट कानून का अभाव है इसके बावजूद उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हुई है।

नोट :

- विदेशी अधिनियम, 1946 शरणार्थियों से संबंधित एकीकृत समस्याओं के समाधान करने में विफल रहता है। यह केंद्र सरकार को किसी भी विदेशी नागरिक को निर्वासित करने के लिये अपार शक्ति भी देता है।
- इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 में मुसलमानों को बाहर रखा गया है और यह केवल हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी, सिख तथा बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से बौद्ध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है।
- इसके अलावा भारत वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और शरणार्थी संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानूनी दस्तावेज़ 1967 प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है।
- इसके वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और 1967 प्रोटोकॉल के पक्ष में नहीं होने के बावजूद भारत में शरणार्थियों बहुत बड़ी निवास करती है। भारत में विदेशी लोगों और संस्कृति को आत्मसात करने की एक नैतिक परंपरा है।
- इसके अलावा भारत का संविधान भी मनुष्यों के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा का सम्मान करता है।
  - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश (1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "सभी अधिकार नागरिकों के लिये उपलब्ध हैं जबकि विदेशी नागरिकों सहित व्यक्तियों को समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार उपलब्ध हैं।"

वर्ष 1951 शरणार्थी सम्मेलन में हस्ताक्षर नहीं करने के लिये भारत का तर्क

- वर्ष 1951 के सम्मेलन के अनुसार, शरणार्थियों की परिभाषा केवल नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है लेकिन व्यक्तियों के आर्थिक अधिकारों से संबंधित नहीं है।
  - उदाहरण के लिये सम्मेलन की परिभाषा के तहत एक ऐसे व्यक्ति पर विचार किया जा सकता है जो राजनैतिक अधिकारों से वंचित है लेकिन आर्थिक अधिकारों से वंचित होने की स्थिति में उस पर विचार नहीं किया जाता है।
  - यदि शरणार्थी की परिभाषा में आर्थिक अधिकारों के उल्लंघन को शामिल किया जाता तो यह स्पष्ट रूप से दुनिया पर एक बड़ा आर्थिक बोझ बढ़ा देगा।
- दूसरी ओर यह तर्क कि अगर यह प्रावधान दक्षिण एशियाई संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है तो भारत के लिये भी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्या उत्पन्न हो सकती है।

भारत की शरणार्थी नीति से संबद्ध चुनौतियाँ

- शरणार्थी बनाम अप्रवासी: हाल के दिनों में पड़ोसी देशों के कई लोग अवैध रूप से भारत में राज्य उत्पीड़न के कारण नहीं बल्कि भारत में बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में आते हैं।
  - जबकि वास्तविकता यह है कि देश में ज्यादातर बहस शरणार्थियों के बजाय अवैध प्रवासियों को लेकर होती है ऐसी स्थिति में सामान्यत: दोनों श्रेणियों को एकीकृत कर दिया जाता है।
  - इसके कारण इन मुद्दों से निपटने के लिये नीतियों और उपायों में स्पष्टता के साथ-साथ नीतिगत उपयोगिता की कमी को दूर करना चाहिये।
- फ्रेमवर्क में अस्पष्टता: अवैध अप्रवासियों और शरणार्थियों के प्रति हमारी नीतियों का मुख्य कारण यह है कि भारतीय कानून के अनुसार, दोनों श्रेणियों के लोगों को एक समान माना जाता है और इन्हें विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत कवर किया जाता है।
- तदर्थवाद: इस तरह के कानूनी ढाँचे की अनुपस्थिति भी नीति अस्पष्टता की ओर ले जाती है जिससे भारत की शरणार्थी नीति को मुख्य रूप से तदर्थवाद द्वारा ही निर्देशित की जाती है।
  - तदर्थ उपाय सरकार को कार्यालय में 'किस तरह के शरणार्थियों' को राजनीतिक या भू राजनीतिक कारणों से यह स्वीकार करने में सक्षम बनाते हैं।
  - इससे भेदभावपूर्ण कार्रवाई होती है जो एक प्रकार मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।
- भेदभावपूर्ण CAA: भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पारित कर दिया है। CAA भारत के पड़ोस में धार्मिक अल्पसंख्यकों और राज्य द्वारा प्रताड़ित लोगों को नागरिकता प्रदान करने की परिकल्पना करता है।
  - हालाँकि CAA मुख्य रूप से शरणार्थी समस्या का कारण नहीं है क्योंकि इसकी गहरी भेदभावपूर्ण प्रकृति है तथा एक विशेष धर्म को इसके दायरे में शामिल नहीं किया गया है।
  - इसके अलावा कई राजनीतिक विश्लेषकों ने CAA को शरणार्थी संरक्षण से नहीं बल्कि शरणार्थियों से बचने के अधिनियम के रूप में स्वीकार्य किया है।

नोट :

निष्कर्ष

वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और 1967 प्रोटोकॉल के पक्ष में न होने के बावजूद इसके भारत दुनिया में शरणार्थियों के सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में से एक रहा है। हालाँकि यदि भारत में शरणार्थियों के संबंध में घरेलू कानून होता तो वह पड़ोसी देशों में किसी भी दमनकारी सरकार को उनके नागरिकों पर अत्याचार करने और उनके भारत में प्रवास की संभावना को मज़बूत कर सकता था।

भारत और बिम्सटेक

हाल ही में BIMSTEC (बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल- बिम्सटेक) के विदेश मंत्रियों ने एक आभासी सम्मेलन में वार्ता की। विश्व के कोविड -19 महामारी की चपेट में आने के बाद इस सम्मेलन की यह पहली मंत्रिमंडलीय वार्ता है।

क्षेत्रीय संगठन के रूप में बिम्सटेक ने मानवीय सहायता, आपदा राहत और सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ प्राप्त किया है, जिसमें आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और तटीय सुरक्षा सहयोग शामिल हैं।

हालाँकि ऐसी कई बाधाएँ हैं जो इस क्षेत्रीय निकाय को उसकी पूर्ण क्षमता का दोहन करने से सीमित करती हैं।

बैठक की मुख्य विशेषताएँ:

- विदेश मंत्रियों ने बिम्सटेक चार्टर के मसौदे को मंज़ूरी दे दी तथा इसको जल्द से जल्द अपनाए जाने की सिफारिश की।
- बैठक के दौरान श्रीलंका में आयोजित होने वाले आगामी बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में बिम्सटेक परिवहन कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का समर्थन किया गया।
- भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य, इस मास्टर प्लान का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्योंकि कई सड़कें और नदी इस क्षेत्र से गुज़रते हैं।
- बैठक में आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता पर कन्वेंशन, राजनयिकों तथा प्रशिक्षण अकादमियों के बीच सहयोग और कोलंबो (श्रीलंका) में बिम्सटेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की स्थापना से संबंधित तीन समझौता ज्ञापनों का समर्थन किया गया।
- इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया कि भारत में स्थापित 'बिम्सटेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट' आपदा संबंधी प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने के लिये अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पूर्णत: कार्यात्मक है।

बिम्सटेक का विकास:

- एक उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग समूह के रूप में बिम्सटेक का गठन जून 1997 में बैंकॉक मं किया गया था।
- प्रारंभ में इस संगठन में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे और इसका नाम BIST-EC यानि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड इकॉनोमिक को-ऑपरेशन था।
- दिसंबर 1997 में म्याँमार भी इस समूह से जुड़ गया और इसका नाम BIMST-EC हो गया।
- इसके बाद फरवरी 2004 में भूटान और नेपाल भी इस समूह में शामिल हो गए।
- जुलाई 2004 में बैंकाक में आयोजित इसके प्रथम सम्मेलन में बिम्सटेक (बांग्लादेश, भारत, म्याँमार, श्रीलंका और थाईलैंड तकनीकी और आर्थिक सहयोग) का नाम बदलकर बिम्सटेक (बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल) रखा गया।
- प्रारंभ में बिम्सटेक ने अधिक भू-राजनीतिक महत्त्व प्रदर्शित नहीं किया। यह इसके गठन के पहले 20 वर्षों में सम्पन्न केवल तीन शिखर वार्ताओं से परिलक्षित होता है।
- हालाँकि बिम्सटेक ने अचानक विशेष ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि सार्क के निष्क्रिय होने के पश्चात भारत ने इसे क्षेत्रीय सहयोग के लिये अधिक व्यावहारिक साधन के रूप में चुना।
- अक्तूबर 2016 में गोवा में ब्रिक्स नेताओं के साथ बिम्सटेक नेताओं की आउटरीच समिट के बाद इसने लो-प्रोफाइल रीजनल ग्रुपिंग से आगे आकर अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण प्राप्त किया।
- मई 2019 में भारतीय प्रधान मंत्री के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह में BIMSTEC के नेताओं को सम्मानित अतिथियों के रूप में आमंत्रित किया गया था न कि SAARC को।
- इसके तुरंत बाद विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने बिम्सटेक में "ऊर्जा, मानसिकता और संभावना" का मिश्रण देखा है।

नोट :

संबद्ध चुनौतियाँ:

- अधूरा आर्थिक एजेंडा: मुक्त व्यापार समझौते का अभाव: बिम्सटेक में मुक्त व्यापार समझौते पर वर्ष 2004 में चर्चा की गई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है।
- आंतरिक विवाद: एक मज़बूत बिम्सटेक अपने सभी सदस्य-राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण और तनाव मुक्त द्विपक्षीय संबंधों की पूर्व अवधारणा रखता है।
- किंतु हाल के वर्षों में भारत-नेपाल, भारत-श्रीलंका और बांग्लादेश-म्याँमार के संबंधों को देखते यह पूर्व अवधारणा गलत सिद्ध होती है।
- इसके अलावा, नेपाल और श्रीलंका दोनों सार्क सम्मेलन को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। परंतु भारत का कहना है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते।
- चीन की घुसपैठ: दक्षिण-दक्षिणपूर्व एशियाई अंतरिक्ष में चीन की निर्णायक घुसपैठ भारत के प्रभाव क्षेत्र को सीमित करती है।
- इसके अलावा एक प्रसिद्ध बांग्लादेशी विद्वान ने हाल ही में एक सम्मेलन में तर्क दिया कि बिम्सटेक प्रगति करेगा यदि चीन को उसके प्रमुख वार्ताकार और भागीदार के रूप में स्वीकार किया जाता है।
- म्याँमार में तख्तापलट: म्याँमार में सैन्य तख्तापलट, प्रदर्शनकारियों की क्रूर कार्रवाई और प्रतिरोध जारी रखने के कारण भारत के लिये सीमा प्रबंधन संबंधी चुनौतियाँ पैदा हुई हैं।
- बैठकों में निरंतरता का अभाव: बिम्सटेक ने प्रति दो वर्षों में शिखर सम्मेलन, प्रतिवर्ष मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन वर्ष 2018 तक 20 वर्षों में केवल चार शिखर सम्मेलन हुए हैं।
- सदस्य राष्ट्रों द्वारा बिम्सटेक की उपेक्षा: ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने बिम्सटेक का उपयोग सिर्फ तब किया है जब वह क्षेत्रीय व्यवस्था बनाने में सार्क के माध्यम से सफल नहीं हुआ है, वहीं अन्य प्रमुख सदस्य जैसे- थाईलैंड तथा म्याँमार बिम्सटेक की तुलना में आसियान पर अधिक केंद्रित हैं।
- विस्तृत कार्य क्षेत्र: बिम्सटेक का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है- इसमें पर्यटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि आदि जैसे 14 क्षेत्र शामिल हैं। बिम्सटेक को कम क्षेत्रों हेतु प्रतिबद्ध होना चाहिये तथा उन्हीं में गुणवत्ता लाँए का प्रयास करना चाहिये।
- सदस्य राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय मुद्दे: बांग्लादेश सबसे विकट शरणार्थी संकट का सामना कर रहा है, म्याँमार के रखाइन प्रांत से रोहिंग्या लगातार पलायन करते रहे हैं। म्याँमार एवं थाईलैंड के मध्य सीमा विवाद चल रहा है।
- बीसीआईएम: एक अन्य उप-क्षेत्रीय फोरम बांग्लादेश-चीन-भारत-म्याँमार (BCIM) के गठन (जिसमें चीन एक सक्रिय सदस्य है) ने बिम्सटेक की क्षमता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

आगे की राह:

- बिम्सटेक एफटीए: वर्ष 2018 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक अध्ययन ने सुझाव दिया था कि बिम्सटेक को वास्तविक प्रभाव स्थापित करने के लिये तत्काल एक व्यापक व्यापारिक समझौते की आवश्यकता है।
- इसमें वस्तु, सेवाओं और निवेश में व्यापार को कवर करना; विनियामक सामंजस्य को बढ़ावा देना; ऐसी नीतियाँ अपनाना जो क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाएँ विकसित करें और गैर-टैरिफ बाधाओं को खत्म करना, आदि शामिल होना चाहिये।
- आर्थिक सहयोग के लिये सुरक्षा को बनाए रखने और ठोस व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- गुजराल सिद्धांत: चूँकि BIMSTEC एक भारत-प्रधान ब्लॉक है, इस संदर्भ में भारत गुजराल सिद्धांत का पालन कर सकता है, जो द्विपक्षीय संबंधों में संव्यवहार हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है।

निष्कर्ष

चूँकि बिम्सटेक अगले वर्ष अपने गठन की रजत जयंती मनाने वाला है, इसलिये सदस्यों को क्षेत्रीय तालमेल बनाने और उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। यह बिम्सटेक को मज़बूत और अधिक गतिशील बनाने में सहायक होगा।

नोट :

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

विकेंद्रीकृत जलवायु सहायता

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGA) ने आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है।

प्रवासी संकट के दौरान मनरेगा एक महत्त्वपूर्ण रोज़गार उपकरण और सुरक्षा जाल साबित हुई, जलवायु संकट से निपटने और पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में इसकी भूमिका की तीव्रता से पहचान की जा रही है।

एक जलवायु-स्मार्ट मनरेगा शमन और अनुकूलन दोनों स्थितियों में योगदान देता है। यह जलवायु संकट से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के साथ-साथ उन गरीब परिवारों, जिनके पास उचित संसाधन नहीं हैं, को कानूनी रूप से अनिवार्य मांग-संचालित रोज़गार प्रदान करती है।

इसलिये जलवायु आपातकाल का सामना करते समय जीवन और आजीविका के मामलों को संबोधित करने हेतु योजना की क्षमता का उपयोग किये जाने की आवश्यकता है।

मनरेगा और जलवायु परिवर्तन

- हालाँकि मनरेगा को विशेष रूप से एक जलवायु कार्यक्रम के रूप में नहीं बनाया गया था, यह गरीब-समर्थक जलवायु सहायता उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की क्षमता के साथ तीन प्रमुख तत्त्वों को शामिल करता है:
  - न्यूनतम मज़दूरी के प्रावधान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा;
  - छोटे पैमाने पर प्राकृतिक संसाधन-केंद्रित बुनियादी ढाँचे का विकास;
  - एक विकेंद्रीकृत, समुदाय आधारित नियोजन वास्तुकला।
- मनरेगा, लागत संबंधी नियोजन, वितरण और निगरानी के लिये एक सुस्थापित तंत्र है।
  - यह गरीब ग्रामीण परिवारों को (विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा कमज़ोर वर्ग) उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर जलवायु वित्त प्रदान कर सकता है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने में मनरेगा की भूमिका

- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन: वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के कुल व्यय में से लगभग दो-तिहाई प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) से संबंधित कार्यों में खर्च किये गए थे।
  - मनरेगा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन घटक को बड़े पैमाने पर भूमि, जल और वन संसाधनों की उत्पादक क्षमता में सुधार करने के लिये बढ़ावा देता है।
- जलवायु जोखिम के प्रति भेद्यता को कम करना: यह जलवायु जोखिम के प्रति भेद्यता को कम करने में मदद करता है क्योंकि इससे भूजल उपलब्धता में वृद्धि, मिट्टी की उर्वरता में सुधार, वनारोपण में वृद्धि तथा सूखे और बाढ़ से बचाव के उपाय किये जाते हैं।
- जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को बढ़ावा देना: हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा किये गए एक अध्ययन से पता चलता है कि मनरेगा "दुनिया का सबसे बड़ा अनुकूलन कार्यक्रम है क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिये निवेश बढ़ाकर सूखे का सामना करने में लोगों के श्रम का उपयोग करता है"।
- INDC को प्राप्त करना: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये प्रयासों के अंतर्गत भारत को तीन प्रमुख लक्ष्यों को पूरा करना है- गैर-जीवाश्म ईंधन से 40% विद्युत शक्ति क्षमता का निर्माण, 2005 में तुलना में उत्सर्जन में 33-35% की कटौती करना और लगभग 2.5 से 3 बिलियन टन का कार्बन सिंक बनाना।
  - भारत प्रथम दो लक्ष्यों को पूरा करने के समीप है लेकिन तीसरे लक्ष्य में अभी काफी पीछे है। वर्तमान आँकड़ों के अनुसार, लक्ष्य प्राप्ति करना एक बड़ी चुनौती साबित होगी।

नोट :

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिये केंद्र सरकार द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में 2017-18 में MGNREGA द्वारा कार्बन पृथक्करण में 62 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर के योगदान का आकलन किया गया था।
- इसके प्रदर्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है।

आगे की राह:

मनरेगा को मज़बूत करने और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिये निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

- वित्तीय संसाधनों का संवर्द्धन: जलवायु परिवर्तन को कम करने तथा निम्न-कार्बन परिसंपत्तियों के निर्माण और लाभ हेतु मनरेगा की कार्यकारी शक्तियों और श्रमिकों के कौशल को मज़बूती प्रदान करने के लिये प्रशासनिक या अभिसरण निधि को बढ़ाना होगा।
  - यह जलवायु परिवर्तन उपशमन हेतु मांग-संचालित और अधिक लोगों को संलग्न करने का काम करेगा।
- अभिसरण का दायरा बढ़ाना: कृषि संपत्ति को जलवायु-स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिकियों और परियोजनाओं से जोड़ने के लिये अभिसरण के दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता है। जलवायु-स्मार्ट कृषि परियोजना खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की परस्पर चुनौतियों का सामना करने के लिये बनाई गई है।
  - इस संदर्भ में पर्यावरण सेवाओं के मापन और लेखांकन के लिये मज़बूत तरीके विकसित किये जा सकते हैं।
- मनरेगा निगरानी और मूल्यांकन प्रणालियों को मज़बूत बनाना: इस प्रणाली में स्वतंत्र अध्ययन और सर्वेक्षण कराया जाना चाहिये जो योजना के तहत जलवायु जोखिमों के अनुकूलन और शमन क्षमता निर्धारित करेगा।
  - इसके अतिरिक्त फीडबैक प्रोफार्मा के लिये न केवल काम की संख्यात्मक गणना, बल्कि प्रदान की गई पर्यावरणीय सेवाओं की भी आवश्यकता है।
- अग्रिम वेतन रोज़गार: अग्रिम वेतन रोज़गार के समर्थन करने के लिये जलवायु जोखिम की जानकारी (मौसम, जलवायु खतरों और जलवायु भेद्यता), सेवाओं और कौशल का निर्माण।

निष्कर्ष:

वर्तमान में मनरेगा को एक जलवायु-स्मार्ट हरित रोज़गार सृजन कार्यक्रम के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है क्योंकि लगातार वैश्विक तापन बढ़ने से ग्रामीण गरीबों को इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस दिशा में सार्वजनिक हस्तक्षेप के रूप में जलवायु-स्मार्ट मनरेगा एक सही कदम प्रतीत होता है।

नोट :

सामाजिक न्याय

खाद्य अपव्यय

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, पर्याप्त खाद्य उत्पादन के बावजूद लगभग 190 मिलियन भारतीय अल्पपोषित हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक तीसरा कुपोषित बच्चा भारतीय है।

विडंबना यह है कि इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में उत्पादित खाद्य पदार्थों का 40 प्रतिशत तक बर्बाद हो जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 92,000 करोड़ रुपए मूल्य का 67 मिलियन टन से अधिक भोजन बर्बाद हो जाता है।

हालाँकि यह भोजन की बर्बादी, एक स्तर तक सीमित नहीं है बल्कि कई चरणों में होती है जैसे-उत्पादन, कटाई, परिवहन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, वितरण, भंडारण और उपभोग के अंतिम चरण तक।

हालाँकि खाद्य अपव्यय एक वैश्विक समस्या है, लेकिन यदि इसे बेहतर ढंग से संबोधित किया जाए तो भारत को इसे एक अवसर में बदलने का मौका मिलेगा।

केस स्टडी: सफल (SAFAL) आउटलेट

- प्रत्येक सफाई केंद्र या सफल आउटलेट से प्रतिदिन औसतन 18.7 किलोग्राम खाद्यान्न बर्बाद होता है।
- इसके मुताबिक दिल्ली के 400 सफाई केंद्रों से प्रतिदिन 7.5 टन अनाज बर्बाद होता है।
- इसमें से लगभग 84.7 % खाना कूड़ेदान में डाल दिया जाता है, बाकी या तो गरीबों को दे दिया जाता है या जानवर खा जाते हैं।
- जबकि कूड़ेदान में डाले गए खाद्य अपशिष्ट का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा खाने योग्य था।
- सफाई केंद्रों से बर्बाद होने वाले भोजन को अगर गरीबों को खिलाया जाए तो इससे प्रतिदिन 2000 लोगों को भोजन कराया जा सकता है।

खाद्य अपव्यय की चुनौतियाँ

- उपभोग पूर्व नुकसान: खंडित खाद्य प्रणालियों और अकुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं के कारण भारत में उत्पादित खाद्य पदार्थों का 40 प्रतिशत तक बर्बाद हो जाता है।
- यह वह नुकसान है जो उपभोक्ता तक पहुँचने से पहले ही हो जाता है।
- घरेलू खाद्य अपशिष्ट: खाद्य अपशिष्ट की काफी मात्रा हमारे घरों में उत्पन्न होती है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट-2021 के अनुसार, भारतीय घरों में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 50 किलो भोजन बर्बाद करता है अर्थात् भारत में घरेलू खाद्य अपशिष्ट का अनुमान 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष या 68,760,163 टन प्रतिवर्ष है।
- ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन: यह अतिरिक्त खाद्य अपशिष्ट आमतौर पर लैंडफिल या गड्ढों में फेंक दिया जाता है, जो धीरे-धीरे विघटित होकर मीथेन एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण करता है, इसका नकारात्मक प्रभाव न सिर्फ पर्यावरण पर पड़ता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।
- महामारी का प्रभाव: कोविड-19 महामारी ने न केवल खाद्य अपशिष्ट की समस्या को उजागर किया है, बल्कि उसे जटिल भी बना दिया है।
- वर्ष 2020 में लॉकडाउन के शुरुआती चार महीनों के दौरान अनाज का अधिशेष भंडार 65 लाख टन आँका गया था, जो भारत में गोदामों में सड़ता रहा।
- गरीबों (विशेषकर दिहाड़ी मज़दूर) के लिये भोजन तक पहुँच बेहद मुश्किल हो गया है।
- आपूर्ति-श्रृंखला प्रबंधन मुद्दे: भारतीय खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की कुछ समस्याओं में सरकारी कार्यक्रमों की अक्षमता, राजस्व सृजन में पारदर्शिता की कमी, अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं और व्यापक एवं सटीक आविष्कारों की कमी देखी गई है।

आगे की राह:

- व्यवहार परिवर्तन: विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, खाद्य अपशिष्ट का मतलब है कि परिवर्तन की शुरुआत हमारे अपने घरों से करने की आवश्यकता है, क्योंकि घरों और उनके गैर-उत्तरदायित्व उपभोग प्रवृत्ति के कारण इस अपशिष्ट में वृद्धि होती है।

नोट :

- आपूर्ति-शृंखला को एक नई दिशा प्रदान करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते है जैसे -किराना सामान की सीमित खरीदारी, एकल-उपयोग पैकेजिंग का इस्तेमाल कम करना, रेस्तरां से आवश्यकता अनुसार ऑर्डर करना और शादी समारोहों में अतिरिक्त भोजन के उपयोग पर पुनर्विचार करना।

- फूड बैंक की अवधारणा: प्रतिदिन फूड बैंक के खुलने से लेकर बंद होने तक निशुल्क सुपाच्य भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिये ताकि भोजन का उपभोग आवश्यकता के अनुसार किया जा सके।
  - इसके माध्यम से वितरण के विकल्प का पता लगाने के साथ-साथ निजी अभिकर्त्ता से संबंध स्थापित कर भोजन को ज़रूरतमंद या भूख हॉटस्पॉट क्षेत्रों तक पहुँचाया जाना चाहिये।
  - सामुदायिक स्तर पर कोयम्बटूर-आधारित नो फूड वेस्ट जैसे संगठनों की पहचान की जानी चाहिये ताकि उनका उपयोग कर ज़रूरतमंद और भूखे लोगों को खिलाने के लिये अतिरिक्त भोजन का पुनर्वितरण किया जा सके।
- अंतर्राष्ट्रीय पहल: विभिन्न देशों (फ्राँस, नॉर्वे, डेनमार्क, ब्रिटेन आदि) द्वारा किये गए बेहतर प्रयासों और कानूनों को अपनाना चाहिये ताकि भारत में खाद्यान्नों को बर्बाद होने और नष्ट होने से बचाया जा सके।
  - उदाहरण के लिये फ्राँस के सुपरमार्केट अतिरिक्त भोजन को बर्बाद होने से बचाने के लिये पुन: उत्पादन, पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण को प्राथमिकता देते हैं।
- प्रौद्योगिकी निवेश: खाद्य अपशिष्ट जैसी समस्याओं को दूर करने के लिये आपूर्ति शृंखला के प्रत्येक चरण में प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना चाहिये।
  - प्रौद्योगिकी का नियोजन आपूर्ति शृंखला में सुधार कर सकती है तथा शिपिंग और रसद में पारगमन समय को भी कम कर सकती है। इसके अतिरिक्त कई सरकारी उपक्रम खाद्य उद्योग के बुनियादी ढाँचे के निर्माण में भी सहायता कर रहे हैं।
  - भारत में उभरते स्टार्ट-अप तंत्र में निवेश के ज़रिये नवीनतम लॉजिस्टिक उद्योग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित आपूर्ति शृंखला प्रबंधन प्रणाली की ओर बढ़ रहा है जो वेयरहाउस, पैकेजिंग, शिपिंग और उत्पाद वितरण के प्रबंधन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है।

निष्कर्ष:

भोजन की बर्बादी को कम करने के लिये हमें अपने कर्तव्य के बारे में शुरुआती जागरूकता हासिल करनी होगी जो हमारे समाज में भूख और भोजन की कमी के तरीके को बदलने सहायक हो। इस प्रकार सभी को एकजुट होकर एक सतत् और मज़बूत भारत बनाने के लिये काम करना होगा ताकि पर्याप्त खाद्य उत्पादन के बावजूद लोग अल्पपोषित न रहें।

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

वामपंथी अतिवाद

हाल ही में छत्तीसगढ़ के बस्तर के टेकुलगुडा क्षेत्र में स्थानीय और केंद्रीय पुलिस बलों द्वारा संचालित तलाशी अभियान विफल हो गया जिसमें 22 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।

यह दुखद घटना कई स्तरों पर भारत की आंतरिक सुरक्षा (IS) क्षमता के लिये एक बड़ा झटका है इस चुनौती को उजागर करती है कि वामपंथी उग्रवाद (LWE) जारी है।

भारत दशकों से तीन प्रकार की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे:- कश्मीर में एक छद्म युद्ध और आतंकवाद, पूर्वोत्तर में उप-राष्ट्रीय अलगाववादी आंदोलनों और रेड कॉरिडोर में नक्सल-माओवादी विद्रोह (LWE)।

सरकार ने पहली दो चुनौतियों (कश्मीर में छद्म युद्ध और आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उप-राष्ट्रीय अलगाववादी आंदोलन) को समाहित किया है, लेकिन टेकुलगुडा की घटनाएँ दर्शाती हैं कि अब LWE को खत्म करने के लिये ठोस कदम उठाने चाहिये।

कॉम्बिंग ऑपरेशन या तलाशी अभियान

- कॉम्बिंग ऑपरेशन सहयोगी या विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किसी क्षेत्र की चुनौतियों को समाप्त करने के लिये किया जाने वाला संयुक्त अभियान है। जैसे-आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स एक विशेष क्षेत्र में कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हैं।
- यह अभियान छिपे हुए विद्रोहियों या उनके हथियार के ठिकानों को खोजने के लिये किया जा सकता है।
- यह एक योजनाबद्ध ऑपरेशन है और संबंधित बलों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इन ऑपरेशनों का अभ्यास किया जाता है।
- हालाँकि इसमें बहुत जोखिम होता है क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति कहीं से छिपकर आप पर हमला कर भागने की कोशिश कर सकता है।
- विद्रोहियों का समर्थन करने वाले स्थानीय लोगों द्वारा सुरक्षा बलों के आंदोलनों को प्रभावित करके इस अभियान के परिचालन में बाधा उत्पन्न की जा सकती है जिससे यह अभियान और अधिक कठिन हो जाता है।

पृष्ठभूमि:

- LWE की उत्पत्ति: LWE ऐसे कई कारणों का परिणाम है- (खराब शासन व्यवस्था, जनजातीय क्षेत्रों में विकास की कमी और राज्य और समाज के एक दमनकारी/शोषक पदानुक्रम) जिसने आदिवासी आबादी, भूमिहीन और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को हाशिये पर धकेल दिया है।
  - 1970 के दशक में नक्सलबाड़ी की शुरुआत पश्चिम बंगाल और वर्तमान तेलंगाना क्षेत्र से हुई। वर्तमान में यह आंदोलन कई राज्यों (बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओड़िशा) में फैल गया है।
  - LWE से प्रभावित क्षेत्र को लाल गलियारा (Red corridor) कहा जाता है।
- LWE से संबद्ध समूह: हाल के वर्षों में जिन समूहों की पहचान की गई इनमें सबसे प्रमुख पीपुल्स वार ग्रुप (PWG) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट सेंटर (MCC) है।

अत्यधिक गंभीर खतरा: नवंबर 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने LWE चुनौती को भारत के लिये सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा बताया और इसके समाधान के लिये पेशेवरों को उचित प्रतिक्रियाएँ विकसित करने के लिये प्रेरित किया।

LWE के समाधान संबंधित मुद्दे

- कुशल नेतृत्त्व की कमी: वर्तमान परिदृश्य में कुछ अपवादों को छोड़कर, कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों (IPS कैडर) जिनके पास बहुत कम या कोई अनुभव नहीं है उन्हें केंद्रीय पुलिस बलों में वरिष्ठ रैंक पर नियुक्त किया गया है।
  - प्रशिक्षण के दौरान पुलिस अधिकारी एक सक्षम अधीक्षक होने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा करता है।
  - इस प्रकार का कोई कौशल-मानक प्रासंगिक नहीं माना जा सकता है जब एक अधिकारी को "कमांड" करना और उग्रवाद संचालन में अपने लोगों का नेतृत्व करना हो।

नोट :

- इससे सुरक्षाकर्मियों के आत्मबल में कमी आई है। पिछले तीन दशकों में, लगभग 15000 से अधिक लोग LWE के कारण अपना जीवन खो चुके हैं।

- जनजातीय युवाओं की भर्ती: LWE के संचालन में शामिल लोगों की विचारधारा क्रांतिकारी उद्देश्य के लिये नहीं है बल्कि उन्हें जबरन गतिविधियों में शामिल किया जाता है। कई लोगों के लिये इन समूहों में शामिल होना ही जीवित रहने का एकमात्र तरीका है।
  - इसके अतिरिक्त ये संगठन में कमज़ोर लोगों को नियुक्त करते हैं जो कम साक्षर, बेरोज़गार या कम आय वाले होते है। विशेष रूप से आदिवासी समुदाय को अपने संगठन में शामिल करते हैं।
  - इस प्रकार के मुद्दे LWE में युवाओं की भर्ती के लिये एक सकारात्मक मार्ग प्रशस्त करते है।
- लोकतंत्र को खतरा: वे गुरिल्ला रणनीति के माध्यम से हिंसा को बढ़ावा देते हैं और स्थानीय गांवों में अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास करते हैं।
  - वे चुनाव के आयोजन से पूर्व स्थानीय लोगों को धमकी देते हैं और उन्हें मतदान करने से रोकते हैं। यह लोकतंत्र की सहभागिता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

आगे की राह

- प्रगतिशील कार्य: जातीय और सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिये उन क्षेत्रों में कुछ प्रभावी कदम(शैक्षिक और रोज़गार असमानता, सार्वजनिक शिकायत के निवारण तंत्र, पर्यावरणीय सुधार) उठाने चाहिये।
  - आर्थिक अभाव को कम करके और आवश्यक सेवाएँ प्रदान करके वामपंथी आंदोलन को संचालित करने वाले सार्वजनिक समर्थन के आधार को नष्ट किया जा सकता है ।
- पैरा-मिलिट्री सुधार: कारगिल रिव्यू कमेटी (KRC) की रिपोर्ट में कहा गया है कि आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनज़र देश को कई चुनौतियों (विशेषकर कमान,नियंत्रण और नेतृत्व कार्यों के संदर्भ में) का सामना करना पड़ता है जिसके लिये अर्द्धसैनिक बलों की भूमिका और कार्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिये।
- सहकारी संघवाद: भारत की राष्ट्रीय-सुरक्षा प्रणाली में शामिल जटिलताओं को देखते हुए विभिन्न संघीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को मज़बूत करना आवश्यक है।
- पुलिस बल का आधुनिकीकरण: कानून व्यवस्था बनाए रखने में राज्य महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अत: स्थानीय पुलिस बलों के क्षमता निर्माण और आधुनिकीकरण पर ज़ोर दिया जाना चाहिये।LWE संगठनों को समाप्त करने में स्थानीय बल कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से सहायता कर सकते हैं।
- LWE समूहों का सीमांकन: यद्यपि हाल के वर्षों में वामपंथी उग्रवादी समूहों से जुड़ी हिंसा की घटनाओं में कमी आई है, परंतु ऐसे समूहों को खत्म करने के लिये निरंतर प्रयासों पर और ध्यान देने की आवश्यकता है।
  - राज्यों को अपनी आत्मसमर्पण नीति (Surrender Policy) को और अधिक तर्कसंगत बनाना चाहिये ताकि LWE में फँसे निर्दोष व्यक्तियों को मुख्यधारा में लाया जा सके।
  - सरकार को दो चीज़ें सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है; (i) शांतिप्रिय लोगों की सुरक्षा और (ii) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास।

समाधान (SAMADHAN) नीति

वर्ष 2017 में भारत सरकार ने एक नए सिद्धांत की घोषणा की। इस सिद्धांत की घोषणा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की समीक्षा बैठक के दौरान की गई थी। SAMADHAN का पूर्ण रूप निम्न प्रकार से है:

- S- कुशल नेतृत्व (Smart Leadership)
- A- आक्रामक रणनीति (Aggressive Strategy)
- M- प्रेरणा और प्रशिक्षण (Motivation and Training)
- A- क्रियाशील खुफियातंत्र (Actionable Intelligence)

नोट :

- D- डैशबोर्ड आधारित 'मुख्य प्रदर्शन संकेतक' और (Key Performance Indicators- KPI) मुख्य परिणाम क्षेत्र (Key Result Areas- KRAs)
- H- प्रौद्योगिकी का सदुपयोग (Harnessing Technology)
- A- एक्शन प्लान फॉर इच थिएटर (Action plan for each Theatre)
- N- वित्तीय पहुँच (उग्रवादी समूहों के संदर्भ में) को रोकना (No access to Financing)

निष्कर्ष : सरकार ने LWE से निपटने के लिये SAMADHAN नीति की परिकल्पना की है। यह नीति वामपंथी उग्रवाद की समस्या के लिये वन-स्टॉप समाधान है। इसके अंतर्गत LWE से निपटने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर तैयार की गई सभी अल्पकालिक व दीर्घकालिक रणनीतियाँ शामिल हैं।

दृष्टि The Vision

नोट :